लय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास .

र्थना पत्र सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
1/20	23.9.21	6.9.2021

श खैरिया (रमेश) पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम जाटका तहसील शनगढबास जिला अलवर राजस्थान। :–प्रार्थी:–

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब भू0 अ0 किशनगढ–बास । :–अप्रार्थी:–

प्रार्थना पत्र जैर दफा 136 राजस्थान
लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थिति:–
1.श्री कपिल कान्त शर्मा वकील प्रार्थी की ओर से
2.अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही ।

:– निर्णय :–

प्रार्थना पत्र पेश हुआ । प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 16/1 रकबा 0.1000 है,17/1 रकबा 0.0500हे0, 4/1 रकबा 0.0500है0 कुल किता 3 रकबा 0.2000है0, वाके ग्राम औदरा तहसील किशनगढबास का मुताबिक रिकार्ड काबिज काश्तकार है। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 संलग्न है।भूमि निर्विवाद है। प्रार्थी खुद काबिज है।राजस्व रिकार्ड ग्राम ओदरा में भूलवंश व अज्ञानतावंश प्रार्थी रमेश खैरिया को रमेश दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड सख्या 465616260617 व राशनकार्ड संख्या 007244100045 में सही व शुद्व नाम रमेश खैरिया दर्ज है। सबूत में आधार कार्ड व राशनकार्ड की छायाप्रति पेश है। एवं राजस्व ग्राम जाटका के राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थी का नाम रमेश खैरिया दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड सम्वत 2065–68में भी प्रार्थी का गलत नाम रमेश चन्द दर्ज था। प्रार्थी ने राजस्व कैम्प एवं लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 अभियान कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत माहोन्द में प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम जाटका के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम व शुद्व नाम रमेश खैरिया दर्ज कराया हुआ है। सबूत में निर्णय की सत्य प्रतिलिपि संलग्न व राजस्व ग्राम जाटका की हाल जमाबन्दी संलग्न है।

यह है कि पक्षकारान हदूद अदालत श्रीमान के वाशिन्दा है तथा मुतनाजा भूमि भी यही पर स्थित है इसलिये प्रार्थना पत्र श्रवण योग्य अदालत श्रीमान है।

अत: प्रार्थना है कि राजस्व ग्राम औदरा के राजस्व रिकार्ड में हाल खाता संख्या 299 में प्रार्थी का नाम सही व शुद्व नाम रमेश खैरिया दर्ज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

Scanned with CamScanner

र्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया।अप्रार्थी
त नही के प्रति एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के
हाल जमाबंदी संवत 2065–68 एवं राजस्व लोक अदालत कैम्प माहोद का निर्णय
के 29.5.18 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि राजस्व रिकार्ड ग्राम ओदरा में भूलवंश व अज्ञानतावंश प्रार्थी रमेश खैरिया को रमेश दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड सख्या 465616260617 व राशनकार्ड संख्या 007244100045 में सही व शुद्व नाम रमेश खैरिया दर्ज है। सबूत में आधार कार्ड व राशनकार्ड की छायाप्रति पेश है। एवं राजस्व ग्राम जाटका के राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थी का नाम रमेश खैरिया दर्ज है।अतः प्रार्थी का नाम सही व शुद्ध रमेश खैरिया दर्ज किय जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं जामाबंदीयात से साबित होता है कि राजस्व ग्राम औदरा के राजस्व रिकार्ड में हाल खाता संख्या 299 में प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र गंगाराम के स्थान पर रमेश खैरिया पुत्र गंगाराम किया जाने के आदेश दिये जाते है । निर्णय की प्रति तहसीलदार किशनगढबास को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर लेख भण्डार रहे। निर्णय खुले न्यायालंय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned with CamScanner